

**न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-449/15
संस्थापित दिनांक-15.12.2015**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
1- रावराजा पुत्र स्व. करन सिंह उम्र 76 साल 2- प्रतिपाल पुत्र रावराजा उम्र 24 साल 3- जयपाल उर्फ चुन्नी पुत्र रावराजा उम्र 28 साल 4- राजपाल पुत्र रावराजा उम्र 30 साल निवासीगण- ग्राम गोधन थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री सिराज पठान अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 20.02.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 452, 294, 323/34, 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 05.02.2015 को सुबह करीब 7-8 बजे दिनांक 05.05.2014 थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादी फूलकुंवर बाई के घर में उसको उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया एवं फूलकुंवर बाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी की मारपीट करने का समान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आरोपी प्रतिपाल ने फरियादी फूलकुंवर बाई की घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फूलकुंवर बाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 18.02.2017 को फरियादिया फूलकुंवरबाई एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण **रावराजा, प्रतिपाल, जयपाल, राजपाल** को भा.द.वि की धारा 294, 323/34, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया फूलकुंवरबाई ने अपने पति जगभान के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 05.02.2015 को सुबह करीब 7-8 बजे की बात है, गाँव का कुत्ता उसके घर में घुस गया था उस कुत्ते को उसने भगाया इतने में रावराजा बुंदेला और प्रतिपाल बुंदेला, राजपाल बुंदेला, चुन्नी बुंदेल ग्राम गोधन के चारो बोले कि उसने कुत्ते को क्यों भगाया तुम्हारा क्या बिगाडा और उसने कहा कुत्ता उसके घर में घुसकर खाने पीने की चीजों को खराब कर सकता है और चारो ने उसे गाली बकी, उसने गाली देने से मना किया तो प्रतिपाल ने उसे घूसा पीठ में कमर में मारे, उसके कमर व पीठ में चोट लगी। उसकी बच्ची मोनू राजा ने उसे बचाया था, बाद में उसका भतीजा इन्द्रपाल आ गया था जिसने उसे बचाया था व घटना देखी थी। फरियादी का पति घर पर नहीं था वह बाहर गया था। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.02.2015 को सुबह करीब 7-8 बजे दिनांक 05.05.2014 थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादी फूलकुंवर बाई के घर में उसको उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
----	---

: : सकारण निष्कर्ष : :

05— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फूलकुंवर बाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को जानती है। घटना करीब एक साल पहले की होकर सुबह 7-8 बजे की है। घटना दिनांक को गाँव का कुत्ता उसके घर में घुस आया था। उस कुत्ते को साक्षियों ने भगा दिया था तो रावराजा, प्रतिपाल, राजपाल, चुन्नी बुंदेला चारो उससे बोले की तुमने कुत्ते को क्यों भगाया, तो उसने कहा कि कुत्ता घर में घुसकर खाने पीने की चीजे खराब कर सकता है, इसी बात को लेकर चारो आरोपीगण गाली गलौच करने लगे। उसने गाली देने से मना

किया तो आरोपीगण की उससे चैंट हो गई थी और धक्का मुक्की में गिर जाने से मामूली चोट आ गई थी। जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में पुलिस को बताया था, तो पुलिस ने किसी व्यक्ति से एक आवेदन लिखवाया था जिसपर उसने निशानी अंगुठा लगाया था। उक्त आवेदन प्र.पी. 1 है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल कराया था और पूछताछ कर मेरे बयान लिये थे।

06— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि प्रतिपाल अकेले ने घर में घुसकर लात घुसो से उसकी मारपीट की, जिससे उसे पीठ, बांये पैर, बांये हाथ की कोहनी के उपर मुंड़ी चोट लगी थी। इस बात से इंकार किया कि मोनूराजा ने उसे बचाया था। इस बात से इंकार किया कि बाद में मेरा भतीजा इन्द्रपाल आ गया था। साक्षी को उसका आवेदन प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त आवेदन, कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया, पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपीगण से मिलकर उन्हें बचाने के लिये न्यायालय में असत्य कथन कर रही हूँ। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि घटना दिनांक को आरोपीगण से उसके बात-चीत घर के बाहर रास्ते पर हुई थी। आरोपीगण उसके घर के अन्दर प्रवेश नहीं किया था। इस बात को स्वीकार किया कि आरोपीगण से धक्का मुक्की में उसे मामूली चोट आ गई थी।

07— अभियोजन साक्षी सोनू राजा अ0सा02, इन्द्रपाल अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण को जानने वाली बात बताई किन्तु उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया केवल उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि प्रतिपाल, जयपाल, राजपाल, से गाली गलौच हो गई थी और धक्का मुक्की में फूलकुंवर बाई को मामूली चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षीगण ने बताया कि आरोपीगण से बातचीत घर के बाहर रास्ते पर हुई थी। आरोपीगण ने घर के अन्दर प्रवेश नहीं किया।

08— इस प्रकार फूलकुंवर बाई अ0सा01 जोकि प्रकरण में स्वयं फरियादी/आहत एवं चक्षुदर्शी साक्षी सोनू राजा एवं इन्द्रपाल ने अभियोजन घटना का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन घटना लेसमात्र भी प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

09— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध

आरोपी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि 05.02.2015 को सुबह करीब 7-8 बजे दिनांक 05.05.2014 थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादी फूलकुंवर बाई के घर में उसको उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। अतः आरोपी **रावराजा, प्रतिपाल, जयपाल, राजपाल** को धारा 452 भा0द0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10- अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

11- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल जप्त नहीं है।

12- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0